RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
मार्च
27
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

भारत में छात्रों की आत्महत्या / Student suicides in India

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने **उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और आत्महत्या की घटनाओं को रोकने** के लिए एक **राष्ट्रीय कार्यबल (National Task Force)** गठित किया है।

छात्र आत्महत्या की समस्या पर कार्य बल गठित:

1. 10-सदस्यीय कार्य बल (Task Force) का गठन:

- उद्देश्य: **छात्र आत्महत्याओं के कारणों की जांच करना**, जिनमें शामिल हैं:
    - रैगिंग (Ragging)
    - जाति आधारित भेदभाव (Caste-based discrimination)
    - शैक्षणिक दबाव (Academic pressure)
    - आर्थिक तनाव (Financial stress)
    - मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक बाधाएँ (Mental health stigma)

2. वर्तमान नीतियों और कानूनों का आकलन:

- कार्य बल **मौजूदा कानूनों, नीतियों और शैक्षिक ढांचे की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा**।
- सुधार हेतु **नई सिफारिशें** तैयार करेगा।

3. औचक निरीक्षण (Surprise Inspections) का अधिकार: उच्च शिक्षण संस्थानों (Higher Education Institutions) में **बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण कर सकता है**।

4. लचीला कार्यदिश (Flexible Mandate): यह कार्य बल अपनी सीमित जिम्मेदारियों से परे भी **आवश्यक सिफारिशें देने के लिए स्वतंत्र है**।

5. रिपोर्टिंग समय-सीमा: चार माह में अंतरिम रिपोर्ट और **आठ माह में अंतिम रिपोर्ट** प्रस्तुत करनी होगी।

भारत में छात्रों की आत्महत्या:

एनसीआरबी 2022 रिपोर्ट के अनुसार: 2022 में कुल आत्महत्याओं में छात्रों की आत्महत्या का प्रतिशत 7.6% था।

पिछले दशक (2012-22) में वृद्धि: 2012 में 6,654 से बढ़कर 2022 में 13,044 हुई।

राज्यवार स्थिति: महाराष्ट्र में सबसे अधिक छात्र आत्महत्याएँ हुईं, उसके बाद मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान रहा।

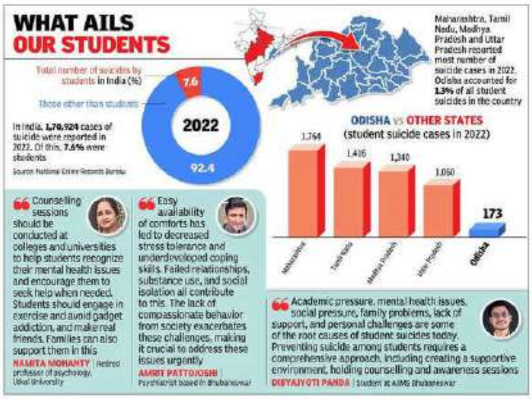

छात्रों की आत्महत्या के कारण

- **शैक्षणिक कारण:** पढ़ाई का तनाव, असफलता और संतोषजनक परिणाम न आना।
- **संस्थागत कारण:** बुलिंग (Bullying), रैगिंग (Ragging), राजनीतिक या धार्मिक विचारों के कारण भेदभाव।
- **सामाजिक-आर्थिक कारण:** जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, नस्लीय भेदभाव आदि।
- **अन्य कारण:** आर्थिक संकट और ऑनलाइन गेमिंग का नकारात्मक प्रभाव।

छात्र आत्महत्या रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **मनोदर्पण:** शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने की पहल।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS):** स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2022 में शुरू की गई योजना, जिसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है।
- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से पहुंच बढ़ाने की योजना।
- **ड्राफ्ट उम्मीद (UMMEED):** 2023 में जारी किए गए स्कूलों के लिए आत्महत्या रोकथाम दिशानिर्देश – (Understand, Motivate, Manage, Empathise, Empower and Develop)।

MSME वर्गीकरण में प्रमुख बदलाव / Major changes in MSME classification

संदर्भ:

सरकार ने **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वर्गीकरण** के लिए **टर्नओवर और निवेश मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन** अधिसूचित किए हैं, जो **1 अप्रैल** से प्रभावी होंगे।

MSME वर्गीकरण में प्रमुख बदलाव:

1. **नई सीमा 1 अप्रैल से लागू** – सरकार ने एमएसएमई (MSME) वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।
2. **सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises):**
   - **निवेश सीमा:** 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर **2.5 करोड़ रुपये** कर दी गई।
   - **टर्नओवर सीमा:** 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर **10 करोड़ रुपये** कर दी गई।
3. **लघु उद्यम (Small Enterprises):**
   - **निवेश सीमा:** 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर **25 करोड़ रुपये** कर दी गई।
   - **टर्नओवर सीमा:** 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर **100 करोड़ रुपये** कर दी गई।
4. **मध्यम उद्यम (Medium Enterprises):**
   - **निवेश सीमा:** 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर **125 करोड़ रुपये** कर दी गई।
   - **टर्नओवर सीमा:** 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर **500 करोड़ रुपये** कर दी गई।
5. **वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण** – उन्होंने एमएसएमई के नए वर्गीकरण की घोषणा की थी, जिसमें निवेश सीमा को **2.5 गुना** और टर्नओवर सीमा को **2 गुना** बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था।

REVISED DEFINITION OF MSMEs

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

MSME का महत्व:

- **आत्मनिर्भर भारत मिशन** – 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान।
- **रोजगार सृजन** – 24.14 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र।
- **वैश्विक उपस्थिति** – घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विविध उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- **महिला उद्यमिता** – पंजीकृत 6.13 करोड़ एमएसएमई में से लगभग 40% महिलाओं के स्वामित्व में हैं।
- **ग्रामीण विकास** – ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण कर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक।
- **गतिशील और प्रभावशाली भूमिका** – पिछले पांच दशकों में विकसित होकर एमएसएमई भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

MSME के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

1. वित्तीय चुनौतियाँ
- वित्तीय संसाधनों की कमी
- अपर्याप्त संपार्श्विक (Collateral)
- नकदी प्रवाह प्रबंधन की समस्या
- तरलता संकट (Liquidity Crisis)
- वित्तीय शिक्षा की कमी

2. परिचालन और बाजार संबंधी चुनौतियाँ
- नियामक अनुपालन
- बुनियादी ढांचे की कमी
- बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा
- बाजार पहुंच की समस्या
- पुरानी तकनीकों का उपयोग

पर्माफ़्रॉस्ट / Permafrost

संदर्भ:

कश्मीर विश्वविद्यालय और **आईआईटी-बॉम्बे** के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि **जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का 64.8% हिस्सा विभिन्न रूपों में पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमी हुई भूमि) से ढका हुआ है**। यह अध्ययन "Remote Sensing Applications: Society and Environment" जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

पर्माफ़्रॉस्ट / Permafrost:

- **परिभाषा:** यह मिट्टी, अवसाद या चट्टान की वह परत होती है जो लगातार **कम से कम दो वर्षों तक जमी रहती है**।
- **मुख्य स्थान:** यह ध्रुवीय और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।
- **उपस्थिति:**
  - **विश्व में:** अलास्का, कनाडा, रूस, तिब्बत और हिमालय।
  - **भारत में:** कश्मीर हिमालय, लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से पाया जाता है।
- **संरचना:** हजारों वर्षों से संग्रहीत **जैविक कार्बन** का विशाल भंडार।
- **महत्व:**
  - जल प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक।
  - पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखता है।
  - कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है।

पर्माफ़्रॉस्ट (Permafrost) के क्षरण के कारक:

1. **वैश्विक तापवृद्धि (Global Warming)**
   - जलवायु परिवर्तन के कारण सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिससे पर्माफ्रॉस्ट तेजी से पिघल रहा है।
   - **2002-2023** के डेटा से पता चलता है कि पर्माफ्रॉस्ट पिघलने की दर लगातार बढ़ रही है।
2. **मानव गतिविधियाँ (Human Activities)**
   - **वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन:** वनस्पति की कमी से पर्माफ्रॉस्ट को सीधी धूप लगती है, जिससे वह तेजी से पिघलता है।
   - **पर्यटन और अवसंरचना विकास:** निर्माण कार्य और पर्यटन से पर्माफ्रॉस्ट का क्षरण बढ़ता है।

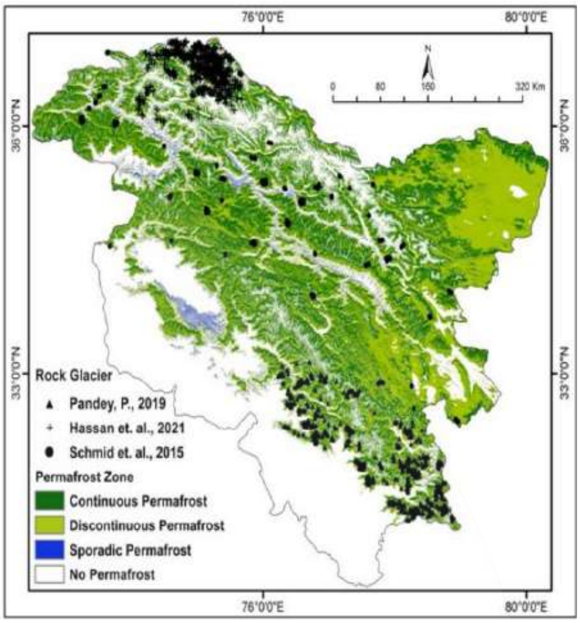

पर्माफ्रॉस्ट पिघलने के दुष्प्रभाव:

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** – पर्माफ्रॉस्ट से **कार्बन और मीथेन** निकलकर **ग्लोबल वार्मिंग** बढ़ाता है।
- **पॉजिटिव फीडबैक लूप** – अधिक पिघलाव → अधिक मीथेन उत्सर्जन → तेज़ ग्लोबल वार्मिंग → और अधिक पिघलाव।
- **प्रोग्लेशियल झीलों का बनना** – J&K में **332 प्रोग्लेशियल झीलें**, जिनमें से **65 GLOFs (झील विस्फोट बाढ़) के खतरे** में।
- **नदी प्रवाह में बाधा** – पर्माफ्रॉस्ट जल संग्रहण और **नदी** जल आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जिसका पिघलाव भूजल पुनर्भरण और नदी प्रवाह को प्रभावित करता है।
- **भूस्खलन और ढलान विफलता** – मिट्टी की स्थिरता घटने से **भूस्खलन** का खतरा बढ़ता है।
- **सड़क और बुनियादी ढांचे को नुकसान** – **सड़कें, घर, पनबिजली परियोजनाएं** प्रभावित।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा** – लद्दाख में **सैन्य ठिकाने** जोखिम में।

बॉयलर्स विधेयक, 2024 / Boilers Bill, 2024

संदर्भ:

लोकसभा ने **बॉयलर्स विधेयक, 2024** पारित किया, जो **100 साल पुराने बॉयलर्स अधिनियम** का स्थान लेगा।

बॉयलर्स विधेयक, पृष्ठभूमि:

- **बॉयलर्स अधिनियम, 1923** का उद्देश्य **भाप बॉयलरों (Steam Boilers)** के निर्माण, स्थापना, संचालन, संशोधन और मरम्मत को नियंत्रित करना है ताकि इनकी **सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके**।
- यह अधिनियम मुख्य रूप से सुरक्षा पर केंद्रित है और इसे **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023** के तहत **अपराधमुक्त (Decriminalized) प्रावधानों** को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जा रहा है।
- **2007 में** इस अधिनियम में संशोधन कर **स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निरीक्षण (Third-Party Inspection)** को जोड़ा गया था, लेकिन समय के साथ और समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई।
- इसलिए, **बॉयलर्स विधेयक, 2024** को **आधुनिक प्रारूपण** के अनुरूप स्पष्टता के साथ दोबारा तैयार किया गया है।

बॉयलर्स विधेयक, 2024 में प्रमुख बदलाव:

- **पुराने प्रावधानों को हटाया गया:** विधेयक में मौजूदा कानून के अप्रचलित अनुभागों को हटाया गया है, जैसे कि कुछ बॉयलर घटकों और फीड-पाइप एवं इकोनॉमाइज़र जैसी प्रणालियों पर कानून की अनिवार्यता।
- **नई परिभाषाएँ और संशोधन:** "बॉयलर कंपोनेंट" (Boiler Component) और "निरीक्षण प्राधिकरण" (Inspecting Authority) जैसी परिभाषाओं को अद्यतन किया गया है ताकि इन्हें वर्तमान प्रथाओं के अनुरूप स्पष्टता मिल सके।
- **छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण:**
  - **जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2023** के अनुरूप, कई **छोटे अपराधों को अपराधमुक्त** किया गया है।
  - अब **अपराधिक दंड (Criminal Penalties)** की बजाय **प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वित्तीय दंड (Fiscal Penalties)** लगाए जा सकेंगे।
  - **लेकिन, गंभीर अपराधों** पर, जो जीवन या संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, **अभी भी आपराधिक दंड** लागू रहेगा।

- **केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकार स्पष्ट किए गए:**
  - विधेयक में **केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड** की भूमिकाओं और **सुरक्षा मानकों को लागू करने की शक्तियों** को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
  - **बेहतर नियम निर्माण** के लिए विशिष्ट प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

बॉयलर्स अधिनियम, 2024:

1. आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार: यह अधिनियम **बड़ी कंपनियों से लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** तक सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए पुन: तैयार किया गया है।

2. सुरक्षा सुधार:

- बॉयलर **मरम्मत और संचालन केवल योग्य कर्मियों द्वारा किए जाएं**, यह सुनिश्चित करने के लिए **अधिक विस्तृत प्रावधान** जोड़े गए हैं।
- इससे **श्रमिकों की सुरक्षा** को और मजबूत किया जाएगा।

3. व्यापार करने में आसानी:

- **अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल** बनाया गया है, जिससे विशेष रूप से **MSMEs** को कानूनी बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
- **छोटे अपराधों पर कानूनी कार्रवाई की जगह प्रशासनिक दंड** का प्रावधान किया गया है, जिससे व्यापार की सुगमता बढ़ेगी लेकिन सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं होगा।

4. संक्रमणकालीन प्रावधान: सुनिश्चित किया गया है कि 1923 अधिनियम के तहत बनाए गए मौजूदा नियम तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि नए नियम स्थापित नहीं किए जाते।

- इससे **नए कानून में सुगम परिवर्तन (Smooth Transition)** सुनिश्चित होगा।

मनरेगा / MGNREGS

संदर्भ:

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)** के तहत **उच्च दर पर जॉब कार्ड हटाने की समस्या** से निपटने के लिए **नई दिशानिर्देश जारी किए हैं।**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS):

- **शुरुआत:** वर्ष **2005** में शुरू किया गया।
- **दुनिया की सबसे बड़ी योजना:** यह **वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक** है।
- **रोजगार गारंटी:**
  - ग्रामीण परिवारों को **100 दिन का न्यूनतम रोजगार** प्रदान करता है।
  - यह **अकुशल (unskilled) श्रम कार्यों** के लिए लागू होता है।
- **न्यूनतम वेतन:** इसमें **कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी** दी जाती है।
- **उद्देश्य:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में **क्रय शक्ति (purchasing power) बढ़ाना।**
  - **गरीबी कम करना** और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना।

केंद्र सरकार द्वारा जॉब कार्ड विलोपन (Deletion) पर नवीनतम दिशानिर्देश

1. ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य:

- किसी भी **जॉब कार्ड या श्रमिक को हटाने से पहले** ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) ग्राम सभा, या विशेष रूप से बुलाई गई ग्राम सभा में **सत्यापन अनिवार्य।**

2. जॉब कार्ड हटाने के मान्य कारण:

- परिवार का **स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र या अन्य पंचायत में प्रवास।**
- ग्राम पंचायत को **शहरी क्षेत्र घोषित किया जाना।**
- **डुप्लिकेट जॉब कार्ड या फर्जी पंजीकरण।**
- श्रमिक की **मृत्यु।**
- परिवार/श्रमिक का **लिखित रूप में स्वयं हटाने का अनुरोध।**

3. हटाए गए नामों का प्रकाशन:

- हटाए गए श्रमिकों/जॉब कार्डों की सूची **30 दिनों तक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध** रहेगी ताकि आपत्ति दर्ज की जा सके।
- **प्रत्येक हटाए गए जॉब कार्ड का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा** और इसकी पुष्टि ग्राम सभा द्वारा की जाएगी।

4. अपील का अधिकार:

- परिवारों को जॉब कार्ड रद्दीकरण के खिलाफ अपील करने का अधिकार।
- ग्राम सभा को वर्ष में दो बार हटाए गए नामों पर चर्चा करनी होगी।

5. लंबित मजदूरी का भुगतान अनिवार्य: जब तक श्रमिक की लंबित मजदूरी का भुगतान पूरा नहीं हो जाता, तब तक जॉब कार्ड हटाया नहीं जा सकता।

सामाजिक अंकेक्षण और श्रमिक अधिकार:

- एमजीएनआरईजीएस (MGNREGS) की धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है, जिससे समुदाय के सदस्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकते हैं।
- नए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी हटाने से पहले श्रमिकों की लंबित मजदूरी का भुगतान अनिवार्य।

सक्रिय भागीदारी और महिलाओं की प्राथमिकता:

- 2023-24 तक, एमजीएनआरईजीएस के तहत 14.32 करोड़ सक्रिय श्रमिक कार्यरत हैं।
- महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता, जिससे कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों।
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार में महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

खाद्य अपशिष्ट संकट / Food Waste Crisis

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार, **2022 में वैश्विक स्तर पर 1.05 अरब टन खाद्य पदार्थ बर्बाद हुए**, जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थों का **लगभग 20%** है। भारत भी इस संकट में प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल है।

खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट (Food Waste Index Report) के प्रमुख बिंदु:

1. वैश्विक खाद्य अपशिष्ट:

- हर साल **$1 ट्रिलियन मूल्य का खाद्य पदार्थ बर्बाद** होता है, जबकि **783 मिलियन लोग भूख से पीड़ित** हैं।
- विश्व स्तर पर **1 अरब टन से अधिक खाद्य अपशिष्ट**, जो **उपलब्ध कुल भोजन का 20%** है।

2. खाद्य अपशिष्ट के प्रमुख स्रोत:

- **60% खाद्य अपशिष्ट घरेलू स्तर (Households) पर होता है।**
- इसके बाद **खाद्य सेवा क्षेत्र (Food Service Sector) और खुदरा क्षेत्र (Retail) आते हैं।**

3. भारत में खाद्य अपशिष्ट की स्थिति:

- **चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे स्थान** पर है।
- भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति **औसतन 55 किलोग्राम** भोजन बर्बाद होता है।
- भारत में **कुल 78 मिलियन टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न** होता है।

4. पर्यावरणीय प्रभाव:

- **खाद्य अपशिष्ट कुल नगरपालिका ठोस कचरे (Municipal Solid Waste) का 10%-12%** है।
- यह **लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन** को बढ़ाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

खाद्य अपशिष्ट बनाम खाद्य हानि (Food Wastage vs. Food Loss):

1. खाद्य अपशिष्ट (Food Wastage): इसमें **खाने योग्य और अखाद्य** दोनों प्रकार के भाग शामिल होते हैं, जो **निर्माण, खुदरा, रेस्तरां और घरों** में विभिन्न चरणों पर बर्बाद होते हैं।

2. खाद्य हानि (Food Loss): यह आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) के **प्रारंभिक चरणों** में होती है, जैसे **भंडारण, परिवहन और खराब प्रबंधन** के कारण भोजन नष्ट हो जाना।

वैश्विक खाद्य अपशिष्ट के आंकड़े

- **783 मिलियन लोग भूख से पीड़ित** हैं, जिससे खाद्य अपशिष्ट एक गंभीर समस्या बन जाती है।
- **19% उपभोक्ता-उपलब्ध भोजन** खुदरा, खाद्य सेवा और घरेलू स्तर पर बर्बाद हो जाता है।

भारत में खाद्य अपशिष्ट की स्थिति:

1. दूसरा सबसे बड़ा खाद्य बर्बाद करने वाला देश: चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

2. प्रति व्यक्ति बनाम कुल अपशिष्ट

- भारत में **प्रति व्यक्ति वार्षिक घरेलू खाद्य अपशिष्ट 55 किलोग्राम** है, जो अमेरिका (73 किलोग्राम) से कम है।
- लेकिन **भारत की विशाल जनसंख्या के कारण कुल बर्बादी बहुत अधिक** हो जाती है।

3. खतरनाक खाद्य अपशिष्ट मात्रा: भारत **हर साल 78 मिलियन टन भोजन बर्बाद करता है**, जबकि **20 करोड़ से अधिक लोग भूखे सोते हैं**।

खाद्य अपशिष्ट के प्रभाव (Impacts of Food Waste):

1. पर्यावरणीय प्रभाव: संसाधनों की बर्बादी: भोजन उत्पादन में उपयोग होने वाली भूमि, पानी और ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है।

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन**:
  - *UN Climate Change (2024)* के अनुसार, **खाद्य अपशिष्ट वैश्विक स्तर पर 8%-10% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कारण** बनता है।
  - यदि खाद्य अपशिष्ट को एक देश माना जाए, तो यह **चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक** होगा।
- **भारत में स्थिति**:
  - भारत में **कुल नगरपालिका कचरे का 10%-12%** खाद्य अपशिष्ट होता है।
  - यह **लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन** को बढ़ाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो जाती है।

2. सामाजिक प्रभाव (Social Impact)

- **भोजन की असमान उपलब्धता**: बड़े पैमाने पर भोजन की बर्बादी के कारण वह **जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता।**
- **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs) पर असर**:**SDG 2 (Zero Hunger)**: दुनिया से भूख मिटाने के लक्ष्य में बाधा।

यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन / Euclid Space Telescope

संदर्भ:

यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने एक अद्भुत छवि जारी की है, जिसमें **10 मिलियन से अधिक आकाशगंगाएँ** कैद हुई हैं। यह ब्रह्मांड की विशालता को समझने और उसमें हमारी स्थिति पर चिंतन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है।

यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन (Euclid Space Telescope):

यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)** का एक मिशन है, जिसे **डार्क मैटर और डार्क एनर्जी** का अध्ययन करने के लिए जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। यह मिशन **छह वर्षों** तक संचालित होगा।

उद्देश्य:

- डार्क ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझना।
- ब्रह्मांड की **वृहद-स्तरीय संरचना (Large-Scale Structure)** का मानचित्रण करना।
- **10 अरब प्रकाश वर्ष** दूर तक की अरबों आकाशगंगाओं का अवलोकन करना।
- ब्रह्मांड का **3D मानचित्र** तैयार करना।
- ब्रह्मांड के विस्तार और **कोस्मिक इतिहास में संरचना निर्माण** को समझना।

मुख्य विशेषताएँ:

- **1.2 मीटर चौड़ा टेलीस्कोप**।
- **दृश्य तरंगदैर्ध्य कैमरा (Visible Instrument - VIS)**।
- **निकट-अवरक्त कैमरा / स्पेक्ट्रोमीटर (Near-Infrared Spectrometer and Photometer)**।
- **600-मेगापिक्सल कैमरा**।

महत्व:

- गुरुत्वाकर्षण की भूमिका और **डार्क एनर्जी व डार्क मैटर** की प्रकृति को समझने में मदद करेगा।
- ब्रह्मांड के **विकास** और **विस्तार** की दर को स्पष्ट करेगा।
- यह बताएगा कि **ब्रह्मांड के विस्तार की गति क्यों बढ़ रही है**।

पार्कर सोलर प्रोब / Parker Solar Probe

संदर्भ:

नासा का **पार्कर सोलर प्रोब**, जो अंतरिक्ष में सबसे तेज़ अंतरिक्षयान है, ने सूर्य के एक और नज़दीकी सफर को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह यान **सूर्य की सतह से मात्र 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर** तक पहुंचा, अपने **परिहेलियन (सूर्य के सबसे करीब बिंदु)** पर।

पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe):

लॉन्च:

- **12 अगस्त 2018** को **केप कैनावेरल एयर फ़ोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा** से लॉन्च किया गया।
- इसे **जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी** द्वारा डिज़ाइन, निर्मित और संचालित किया गया।

नामकरण:

- इसका नाम **यूजीन पार्कर (Eugene Parker)** के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने सबसे पहले **सौर हवा (Solar Wind)** के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी।
- पहले इस मिशन को **Solar Probe Plus** कहा जाता था, लेकिन **2017 में इसका नाम बदला गया**।

क्या करता है?

- **सूर्य के कोरोना प्लाज़्मा और चुंबकीय क्षेत्र** का अध्ययन करता है।
- **ऊर्जा प्रवाह का पता लगाता है**, जो **सौर कोरोना (Solar Corona)** को गर्म करता है।
- **सौर हवा को गति देने वाले कारकों** की खोज करता है।
- **सौर हवा की तस्वीरें** लेता है।

महत्व:

- यह बताता है कि **सूर्य अंतरिक्ष के पर्यावरण (Space Environment) को कैसे प्रभावित करता है**।
- **अंतरिक्ष मौसम (Space Weather)** को समझने में मदद करता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री, उपग्रहों की कक्षा और अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रभाव को समझा जा सकता है।
- अंतरिक्ष मौसम पर हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन / NeVA

संदर्भ:

दिल्ली हाल ही में **नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)** से जुड़ने वाली **28वीं विधानसभा** बन गई है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA): एक डिजिटल विधान प्रक्रिया:

1. उद्देश्य और परिचय:

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)** सभी **राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं** को डिजिटल बनाने के लिए विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
- यह **डिवाइस-न्यूट्रल और सदस्य-केंद्रित** एप्लिकेशन है, जो **सांसदों और विधायकों** को स्मार्ट तरीके से विधान कार्य करने में सक्षम बनाता है।

2. विशेषताएँ और कार्यप्रणाली:

- सदस्यों को सभी विधायी प्रक्रियाओं की डिजिटल जानकारी प्रदान करता है, जिसमें सदस्य संपर्क विवरण, नियमावली, कार्यसूची, सूचनाएं, बुलेटिन, विधेयक, प्रश्नोत्तर, प्रस्तुत दस्तावेज़, समिति रिपोर्ट आदि शामिल हैं।
- सांसद और विधायक अपने मोबाइल और टैबलेट पर विधान कार्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
- मंत्रियों और सदस्यों को सदन की कार्यवाही देखने, प्रश्नों के उत्तर देने और अन्य संसदीय कार्यों के प्रबंधन में मदद करता है।

3. सरकारी विभागों और प्रशासन के लिए लाभ:

- **सरकारी विभागों को डिजिटल रूप से सशक्त** बनाकर **एक समावेशी डिजिटल प्रशासन** बनाने में मदद करता है।
- **सदन के अध्यक्ष (Chair of the House)** को कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित करने और सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां निभाने में सहायता करता है।

4. सुरक्षित और विश्वसनीय क्लाउड होस्टिंग:

- यह **Meghraj National Cloud** पर होस्ट किया गया है, जो इसे **सुरक्षित, आपदा-संरक्षित और विश्वसनीय** बनाता है।

दक्षिण द्वीप / South Island

संदर्भ:

न्यूज़ीलैंड के **दक्षिण द्वीप** के तट पर **6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप** आया। देश की आपदा एजेंसी **सुनामी खतरे** का आकलन कर रही है।

दक्षिण द्वीप (South Island), न्यूज़ीलैंड:

1. भौगोलिक स्थिति

- **दक्षिण द्वीप** न्यूज़ीलैंड के दो प्रमुख द्वीपों में से बड़ा और दक्षिणी द्वीप है।
- यह **उत्तरी द्वीप से कुक जलडमरूमध्य (Cook Strait) द्वारा** और **स्टुअर्ट द्वीप से फोवोक्स जलडमरूमध्य (Foveaux Strait) द्वारा** अलग होता है।

2. भौगोलिक संरचना

- लगभग **तीन-चौथाई क्षेत्र** पर्वतीय (mountainous terrain) है।
- **सदर्न आल्प्स (Southern Alps)** पर्वत श्रृंखला **दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व** की ओर फैली हुई है और इसका सर्वोच्च शिखर **माउंट कुक (3,754 मीटर)** है।
- पश्चिम में वेस्टलैंड मैदान (Westland Plain) और पूर्व में कैन्टरबरी मैदान (Canterbury Plains) स्थित हैं।

3. महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल

- **फियोर्डलैंड नेशनल पार्क (Fiordland National Park)** दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और इसमें कई तटीय **फियोर्ड (fjords) और ऊँची झीलें** हैं।
- यह पार्क **ते वाहिपोनामु (Te Wāhipounamu)** संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे **1990 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** घोषित किया गया था।

4. प्रमुख झीलें: लेक टेकापो, लेक वाकातिपु, लेक पुकाकी

5. प्रमुख शहरी क्षेत्र: **क्राइस्टचर्च, डुनेडिन, इन्वरकार्गिल (Invercargill)**

- दक्षिण द्वीप अपनी **प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय भूभाग और अनूठी पारिस्थितिकी तंत्र** के लिए प्रसिद्ध है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"
SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL
ANKIT AVASTHI
Video will be upload soon !
ANKIT AVASTHI

RRB NTPC
TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

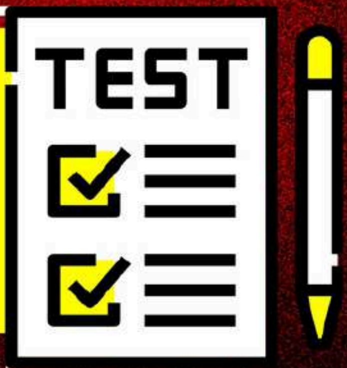

Only 99 Per Year

Buy Now

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर
Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
299/- YEAR

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

RO/ARO
(TEST SERIES)
ONLY 299/- YEAR

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

BPSC
(TEST SERIES)
ONLY 299 YEAR

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

SSC (TEST SERIES)
ONLY 99/- YEAR

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

RPF (TEST SERIES)
ONLY 99/- YEAR

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

Download | Application
Apni Pathshala
7878158882

Apni.Pathshala
Avasthiankit
AnkitAvasthiSir
kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE
FOUNDATION BATCH
FOR ALL
POLITY
ECONOMICS
HISTORY
GEOGRAPHY
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Rs
4999/-
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

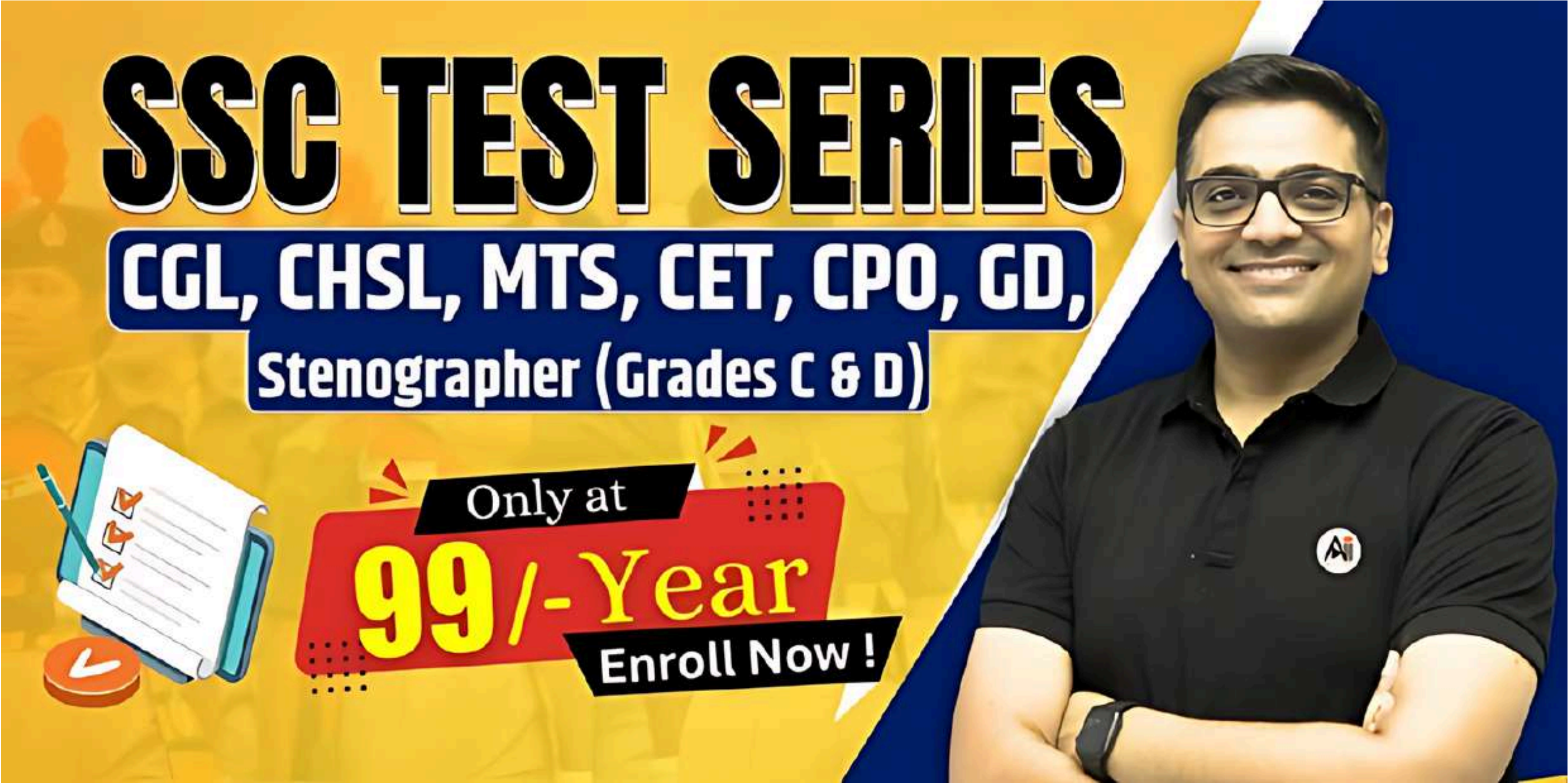
SSC TEST SERIES
CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)
Only at
99/-Year
Enroll Now !